

पत्र संख्या-स0द0/ऑनलाइन पंजी-5/2018-19//

200/1819011// वाणिज्यकर
कार्यालय कमिशनर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश
(सचलदल-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 22 मई, 2018

समस्त

जोनल एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/

एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)/

ज्वाइंट कमिशनर(कार्यपालक/वि0अनु0शा0)/

असिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (सचलदल)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:-सचलदल इकाइयों द्वारा पंजी-5 से ऑनलाइन की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में।

परिवहन के दौरान माल की जांच हेतु वाहन को रोके जाने एवं ऐसे परिवहित किए जा रहे माल एवं वाहन के डिटेन्शन, अवमुक्त एवं जब्त किए जाने की प्रक्रिया से सम्बन्धित विस्तृत निर्देश परिपत्र संख्या-स0द0 / 2018-19 // 229 / 1819009 दिनांक 09-05-2018 से निर्गत किया गया है जिसके प्रस्तर-2 के अलग-अलग उपप्रस्तरों में FORM GST MOV-01 से 11 तक निर्धारित किए गए हैं। मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या- स0द0 / 2018-19 // 230 / 1819010 दिनांक 09-05-2018 के प्रस्तर-8 में निर्देश दिए गए थे कि निर्धारित प्रारूप FORM GST MOV जब तक विभागीय वेबसाइट पर क्रियाशील नहीं हो जाते तब तक इसे मैनुअली जारी किया जाएगा।

(2) विभागीय वेबसाइट के व्यास सेन्ट्रल पोर्टल पर ऑनलाइन पंजी-5 का माड्यूल विकसित किया जा चुका है जिसका फील्ड स्तर पर परीक्षण सफल रहा है। परिपत्र संख्या- स0द0 / 2018-19 // 229 / 1819009 दिनांक 09-05-2018 द्वारा निर्धारित FORM GST MOV-01, 02, 05, 06, 07, 09, 10 एवं 11 को दिनांक 01-06-2018 से ऑनलाइन पंजी-5 के माड्यूल से ही जारी किए जाने का निर्देश दिया जाता है तथा उक्त निर्धारित तिथि से FORM GST MOV-01, 02, 05, 06, 07, 09, 10 एवं 11 मैनुअली जारी नहीं किए जाएंगे।

(3) वित्तीय वर्ष 2018-19 के माह अप्रैल एवं माह मई में सचलदल इकाइयों द्वारा की गई अभिग्रहण की कार्यवाही का विवरण ऑनलाइन पंजी-5 माड्यूल में Mobile Panji-5 Direct Entry लिंक पर किया जाएगा जिसके लिए निम्न प्रकार समय सीमा निर्धारित की जा रही है :-

(i) दिनांक 01-04-2018 से दिनांक 30-04-2018 तक के अभिग्रहण के मामलों को Mobile Panji-5 Direct Entry लिंक पर दिनांक 27-05-2018 तक फीड कर दिया जाय।

(ii) दिनांक 01-05-2018 से दिनांक 30-05-2018 तक के अभिग्रहण के मामलों को Mobile Panji-5 Direct Entry लिंक पर दिनांक 31-05-2018 तक फीड कर दिया जाय।

(iii) दिनांक 01-06-2018 से सचलदल इकाइयों द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्य ऑनलाइन पंजी-5 माड्यूल से वास्तविक समय (Real Time) के अनुसार किया जाएगा।

(4) परिपत्र संख्या- स0द0 / 2018-19 // 229 / 1819009 दिनांक 09-05-2018 के प्रस्तर-2(h), (n), (o) एवं (v) में FORM GST MOV-09 एवं FORM GST MOV-11 में पारित आदेश एवं उसकी

समरी कॉमन पोर्टल पर अपलोड किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक जोन में जी0एस0टी0 पोर्टल पर अधिकारियों के रोल आवंटन हेतु State sub-admin नामित किए गए हैं जिनके द्वारा सचलदल इकाई में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी को रजिस्ट्रेशन इन्फोर्समेन्ट एवं Adjudication का रोल अविलम्ब आवंटित कर दिया जाए।

(5) सचलदल इकाई में कार्यरत अधिकारी द्वारा URL <https://boweb.internal.gst.gov.in> पर लॉगिन करते हुए होम पेज के Statutory Function पर क्लिक करने के बाद Adjudication के मेन्यू लिंक पर क्लिक किया जाएगा जिससे Issue order का लिंक उपलब्ध हो जाएगा। इस लिंक में Others के विकल्प का चुनाव करते हुए वांछित प्रविष्टियां करते हुए FORM GST-DRC-07 डिजिटल हस्ताक्षर से अपलोड किया जाएगा एवं साथ ही साथ FORM GST MOV-09 या FORM GST MOV-11 में, यथास्थिति, पारित आदेश को PDF File में अपलोड किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

21/5/18

(कामिनी चौहान रतन)
कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

प्र0प0सं0 व दिनांक:उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1.अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2.एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 3.एडीशनल कमिशनर(जी0एस0टी0/विधि)वाणिज्य कर मुख्यालय।
- 4.एडीशनल डायरेक्टर, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान।
- 5.समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
- 6.डिप्टी कमिशनर(आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

21/5/18

कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।